भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1392

सोमवार, 09 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

1392. श्री दर्शन सिंह चौधरीः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के अंतर्गत युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के मुख्य उद्देश्य एवं सरकार द्वारा तैयार की गयी रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के लागू होने के पश्चात् पूरे देश में कौशल प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप या प्रत्यक्ष रूप से कितने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किये गये और आगामी वित्तीय वर्षों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित विशेष लक्ष्य क्या हैं, और

(ग) क्या योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), औद्योगिक निकाय और निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की गई है, यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2025 को रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा को सुदृढ बनाने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार सम्बद्ध प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मंजूरी दी। इस योजना का शुभारंभ 15 अगस्त 2025 को किया गया था। इस योजना की पंजीकरण अवधि 01.08.2025 से 31.07.2027 तक दो वर्ष के लिए है और इसके लिए 99,446 करोड़ रूपए का बजटीय परिव्यय है। इस योजना का लक्ष्य पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इस योजना में दो भाग शामिल हैं अर्थात भाग 'क' और भाग 'ख' तथा यह योजना प्रोत्साहन के माध्यम से कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों को सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। योजना के भाग 'क' के अंतर्गत 1.92 करोड़ नए पात्र कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है। योजना के भाग 'ख' के अंतर्गत लगभग 2.59 करोड़ अतिरिक्त नौकरियों के सृजन के लिए नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन का प्रावधान है।

यह योजना पहली बार के औपचारिक क्षेत्र के कामगारों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देती है जिसके लिए यह इस योजना के भाग 'क' के अंतर्गत लाभों की दूसरी किस्त के साथ व्यक्तिगत वित्त, बचत, निवेश और वित्तीय आयोजना को कवर करने वाले वित्तीय साक्षरता पाठ्यक्रम को पूरा किए जाने की शर्त जोड़ती है।

एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित कर्मचारियों और नियोक्ताओं दोनों के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्रता मानदंड की रूपरेखा निर्दिष्ट करते हुए व्यापक योजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

योजना-संबंधी सभी प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने तथा लाभार्थियों और क्षेत्रवार प्रगति की रियल टाइम निगरानी के लिए एक समर्पित पोर्टल (pmbry.epfindia.gov.in) विकसित किया गया है।

समझने में आसानी के लिए इस पोर्टल पर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी), योजना दिशानिर्देश और प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) उपलब्ध कराए गए हैं।

*****